PCSMANTRA.COM

बिल्किस बानो मामला: दो दोषियों की उम्रकैद स्थगित, ज़मानत के पीछे की कानूनी व्याख्या

समाचार: 17 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 18 नवंबर 2026 मुख्य परीक्षा: GS-II, न्यायपालिका और आपराधिक न्याय प्रणाली; GS-I, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
प्रिलिम्स: सुप्रीम कोर्ट, कारावास-स्थगन, रिमिशन, गुजरात दंगे (2002)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

चर्चा में क्यों?

द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के दो दोषियों - बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया - की उम्रकैद की सजा स्थगित कर दी और उन्हें ज़मानत दे दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वरले की पीठ ने यह अंतरिम आदेश 28 अक्टूबर 2026 को पारित किया; आदेश हाल में कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ।

पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में तीन बातें कहीं: दोनों दोषी 17 वर्ष से अधिक समय से कारागार में हैं; एक दोषी गंभीर शारीरिक अक्षमता से पीड़ित है; और अपील में तथ्य और कानून दोनों के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर निर्णय होना बाकी है। अपील महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के अधिवक्ताओं तथा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के विरोध के बावजूद स्वीकार हुई। विरोध का आधार था कि अपराध अत्यंत गंभीर है और ट्रायल कोर्ट का दोष-निर्णय उच्च न्यायालय ने पहले ही बरकरार रखा है।

मामले की पृष्ठभूमि

2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई, जिनमें एक शिशु भी शामिल था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया। जनवरी 2008 में मुंबई के सीबीआई विशेष न्यायाधीश ने 11 लोगों को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई; मई 2017 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सजा बरकरार रखी।

अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को सामूहिक रिमिशन (शमा) दे दी, जिससे वे जेल से बाहर आ गए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रिमिशन रद्द कर दी और दोषियों को फिर से कारागार लौटना पड़ा। वर्तमान अंतरिम आदेश इन्हीं दोषियों में से दो की अपील के दौरान सजा-स्थगन और ज़मानत का है - यह रिमिशन नहीं है।

कारावास-स्थगन, ज़मानत और रिमिशन: तीनों अलग अवधारणाएँ

कारावास-स्थगन (suspension of sentence) अपील के दौरान सजा के निष्पादन को रोकना है; दोष-निर्णय समाप्त नहीं होता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 430) अपीलीय न्यायालय को यह शक्ति देती है। ज़मानत व्यक्ति की अपील के दौरान की रिहाई है, जो शर्तों के साथ आती है - इस मामले में पीठ ने शर्तें तय करने का काम ट्रायल कोर्ट पर छोड़ा।

रिमिशन (शमा) एक कार्यपालिका शक्ति है: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 (अब BNSS की धारा 473-474) और संविधान के अनुच्छेद 72 व 161 के तहत सजा की अवधि घटाई जा सकती है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार को रिमिशन देने का अधिकार-क्षेत्र ही नहीं था, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था। अर्थात रिमिशन सजा को समाप्त करता है, जबकि सजा-स्थगन उसे केवल अपील तक रोकता है - यही अंतर परीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय है।

यह भी पढ़ें: जमानत मिलने के बाद भी जेल में: सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश

अपील में किन मुद्दों पर विचार होना है?

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि प्रदीप मोढिया का नाम प्राथमिकी में नहीं था और वे करीब तीन वर्ष बाद मामले में जोड़े गए। बिपिनचंद जोशी की ओर से कहा गया कि पैर की सर्जरी के बाद वे अक्षम हैं। इन दलीलों का अर्थ यह नहीं कि दोष-निर्णय खत्म हो गया; पीठ ने केवल इतना कहा कि अपील में तथ्य और कानून, दोनों स्तर पर प्रश्न खुले हैं।

न्यायिक विवेक में गंभीर अपराध, कारागार में बिताई अवधि, स्वास्थ्य और अपील की संभावनाओं के बीच संतुलन किया जाता है। यही संतुलन इस आदेश की कसौटी है: गंभीरता के कारण विरोध हुआ, और लंबी कारावास-अवधि तथा अपील के खुले प्रश्नों के कारण अंतरिम राहत मिली।

मुख्य परीक्षा: विश्लेषण के बिंदु

इस मामले से तीन परीक्षा-प्रश्न जुड़ते हैं। पहला, न्यायिक प्रक्रिया में अंतरिम राहत की सीमाएँ: ज़मानत और सजा-स्थगन दोष-निर्णय के पुनर्मूल्यांकन का नहीं, अपील तक की व्यवस्था का नाम है। दूसरा, राज्य की रिमिशन-शक्ति की सीमा: 2024 के निर्णय ने स्पष्ट किया कि किस राज्य के पास रिमिशन देने का अधिकार है और प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है। तीसरा, दंगा-पीड़ितों के लिए न्याय की देरी: 2002 की घटना से अपीलों की लंबी शृंखला बताती है कि न्याय-प्रक्रिया की गति भी न्याय का हिस्सा है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम आदेश अंतरिम न्यायिक राहत और अंतिम निर्णय के अंतर को उजागर करता है।" कारावास-स्थगन, ज़मानत और रिमिशन की अवधारणाओं के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

दो दोषियों की सजा-स्थगन और ज़मानत का 28 अक्टूबर 2026 का आदेश; अपील लंबित है, दोष-निर्णय बना हुआ है।

मुख्य भाग में:

अवधारणाएँ: सजा-स्थगन (धारा 389 CrPC / 430 BNSS), ज़मानत शर्तों सहित, रिमिशन (धारा 432 CrPC / 473-474 BNSS, अनुच्छेद 72-161)।

2024 का निर्णय: रिमिशन का अधिकार-क्षेत्र और प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण।

संतुलन: अपराध की गंभीरता, कारावास-अवधि, स्वास्थ्य और अपील के खुले प्रश्न।

पीड़ित-दृष्टिकोण: न्याय में देरी का सामाजिक मूल्य।

निष्कर्ष में:

अंतरिम राहत अंतिम निर्णय नहीं; प्रक्रियागत निष्पक्षता और शीघ्र अपील-निपटारा दोनों न्याय के लिए आवश्यक हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या दोनों दोषी बरी हो गए?

नहीं। अदालत ने केवल अपील के दौरान सजा स्थगित की है। अपील में तथ्य और कानून के प्रश्नों पर निर्णय होना बाकी है।

2022 की रिमिशन का क्या हुआ था?

गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में 11 दोषियों को सामूहिक रिमिशन दी थी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, जिससे दोषियों को फिर जेल जाना पड़ा।

सजा-स्थगन कौन दे सकता है?

अपील के दौरान अपीलीय न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (अब BNSS की धारा 430) के तहत सजा स्थगित कर सकता है।

इस मामले की सुनवाई कहाँ चली थी?

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में मामला गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया था। 2008 में मुंबई के सीबीआई विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई, जिसे 2017 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। स्रोत (Sources): द हिंदू - Bilkis Bano case: Supreme Court suspends sentence, grants bail to two convicts (16–17 नवंबर 2026) - https://www.thehindu.com/news/national/bilkis-bano-case-supreme-court-suspends-sentence-grants-bail-to-two-convicts/article71707334.ece इंडियन एक्सप्रेस - Supreme Court suspends Bilkis Bano convicts' life sentence, grants bail (16–17 नवंबर 2026) - https://indianexpress.com/article/legal-news/bilkis-bano-gangrape-gujarat-riots-2002-bail-2-convicts-10965164/

स्रोत

- www.thehindu.com
- indianexpress.com

PCSMANTRA.COM